



2026:AHC:178217

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भा.ना.सु.सं. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन -

8746 सन् 2026

अभिषेक चौधरी (नाबालिग)

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....विपक्षी पक्षकार(गण)

आवेदक के अधिवक्ता : अलका उपाध्याय, नंदिनी भारतीय, योगेश शर्मा

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 241 सन् 2026, थाना पलिमुकिमपुर, जनपद अलीगढ़ में भा.ना.सं. की धारा 108, 351(3) के अंतर्गत उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। अभिकथित अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एक माह पश्चात दर्ज कराई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब के संबंध में प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक के विरुद्ध ऐसा कोई अभिकथन अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है कि मृतक को आवेदक द्वारा आत्महत्या करने हेतु उकसाया अथवा दुष्प्रेरित किया गया हो। प्रथम सूचना रिपोर्ट दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से दर्ज कराई गई है। मृतक ने अपनी मृत्यु से पूर्व एक वीडियो बनाया था, जिसमें उसने कथन किया कि वह अपनी पत्नी, आवेदक तथा अन्य सह-अभियुक्तगण के कृत्य के कारण आत्महत्या

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कर रहा है। आवेदक मृतक की पत्नी का चचेरा भाई है। उसने वीडियो में यह कथन नहीं किया कि उसे आवेदक अथवा अन्य सह-अभियुक्तगण द्वारा आत्महत्या करने हेतु उकसाया अथवा प्रेरित किया गया।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी कथन किया गया है कि आवेदक की गिरफ्तारी से परिवार को अपूरणीय क्षति होगी। मृतक मानसिक तनाव में था और उसने अवसाद की स्थिति में, आवेदक की ओर से किसी उत्तेजना अथवा दुष्प्रेरण के बिना, आत्महत्या की। विधि के अंतर्गत अपेक्षित दुष्प्रेरण के आवश्यक तत्व वर्तमान मामले में पूर्णतः अनुपस्थित हैं। आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी कथन किया है कि आवेदक विवेचना तथा विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और विवेचना अभिकरण अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी आवश्यक हो, उपस्थित होगा। यह भी कथन किया गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विवेचना में सहयोग करेगा एवं न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली समस्त शर्तों का पालन करेगा।

5. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र का विरोध किया है, तथापि वे तथ्यात्मक पहलू का खंडन नहीं करते।

6. मैंने दोनों पक्षों की प्रतिस्पर्धी प्रस्तुतियों को सुना है एवं अभिलेख का अवलोकन किया है।

7. सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (एन.सी.टी. दिल्ली) एवं अन्य, (2020) 5 एस.सी.सी.

1 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने संबंधी प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना के क्रम को प्रभावित करने की संभावना, साक्षियों को धमकाने सहित साक्ष्य से छेड़छाड़ की संभावना, तथा देश छोड़ने जैसे विधि से बचने की संभावना पर विचार करना होता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान करने अथवा अस्वीकार करने पर विचार करते समय न्यायालयों को सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को समनुदेशित भूमिका तथा मामले के तथ्यों जैसे विचारों से निर्देशित होना चाहिए। जमानत प्रदान करना अथवा न करना विवेकाधिकार का विषय है।

8. सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 1 अन्य, (2022) 1 सुप्रीम कोर्ट केसेज़ 676 के मामले

में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अवसर तब उत्पन्न होता है जब अभिरक्षा विवेचना आवश्यक हो जाए अथवा वह जघन्य अपराध हो अथवा जहाँ साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना हो अथवा अभियुक्त के फरार होने की संभावना हो। मात्र इसलिए कि गिरफ्तारी विधिसम्मत होने के कारण की जा सकती है, यह अनिवार्य नहीं करता कि गिरफ्तारी की ही जानी चाहिए। गिरफ्तार करने की शक्ति के विद्यमान होने तथा उसके प्रयोग के औचित्य के मध्य भेद किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी को नियमित प्रक्रिया बना दिया जाए तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा तथा आत्म-सम्मान को अपरिमेय क्षति हो सकती है। यदि विवेचना अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार हो जाएगा अथवा समन की अवहेलना करेगा और वास्तव में उसने सम्पूर्ण विवेचना में सहयोग किया है, तो अधिकारी पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कोई बाध्यता नहीं है।

9. निर्णयों की एक सुदीर्घ शृंखला के माध्यम से, माननीय उच्चतम न्यायालय ने बारंबार यह प्रतिपादित किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306/भा.ना.सं. की धारा 108 के अंतर्गत अपराध गठित करने हेतु, मृतक की आत्महत्या को उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप कारित करने के आशय के साथ अभियुक्त की ओर से भारतीय दंड संहिता की धारा 107/भा.ना.सं. की धारा 45 में परिकल्पित विशिष्ट दुष्प्रेरण अपेक्षित है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि मृतक को आत्महत्या करने हेतु सहायता करने, उकसाने अथवा दुष्प्रेरित करने का अभियुक्त का आशय भारतीय दंड संहिता की धारा 306/भा.ना.सं. की धारा 108 को आकर्षित करने हेतु अनिवार्य है [देखें **मदन मोहन सिंह बनाम गुजरात राज्य एवं 1 अन्य (2010) 8 एस.सी.सी. 628**]। इसके अतिरिक्त, अभिकथित उत्पीड़न ऐसा होना चाहिए जिसने पीड़ित को अपने जीवन का अंत करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न छोड़ा हो तथा आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरण के मामलों में आत्महत्या हेतु उकसाने के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कृत्यों का प्रमाण होना चाहिए [देखें **अमलेन्दु पाल उर्फ झांटू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2010) 1 एस.सी.सी. 707 तथा एम. मोहन बनाम राज्य (2011) 3 एस.सी.सी. 626 तथा रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2001) 9 एस.सी.सी. 618**]।

10. इन सिद्धांतों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में **महेन्द्र अवासे बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2025 आई.एन.एस.सी. 76** में पुनः प्रतिपादित किया गया है।

11. आवेदक का मामला उपर्युक्त निर्णयों द्वारा पूर्णतः आच्छादित है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. अग्रिम जमानत संबंधी विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की प्रस्तुतियों, अभियोग की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा मामले की समस्त संबद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत हेतु प्रकरण बनता है।

13. तदनुसार, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निम्नलिखित निर्देशों के साथ **स्वीकार** किया जाता है:-

(i). उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदक-**अभिषेक चौधरी** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित थाने के थानाध्यक्ष अथवा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो-दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाएगा;

(ii). आवेदक विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी को सहयोग करेगा तथा विवेचना संचालित करने के प्रयोजनार्थ जब भी विवेचना अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, उपस्थित होगा;

(iii). आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने हेतु कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा; तथा

(iv). आवेदक न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

14. शर्तों में से किसी के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-परिवादी, आवेदक को प्रदत्त अग्रिम जमानत के निरस्तीकरण हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष समुचित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

24 अगस्त, 2026

ललित शुक्ला